राजस्थान सरकार कार्यालय तहसीलदार, सवाईमाधीपुर जिला- सवाई माधोपुर

राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को दिये जाने वाले समदाय/वर्ग का प्रमाण-पन



usin RJ10/2014/Misc/Digital Minority/1274

दिनाम 30-07-2014

प्रार्थना-पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं श्रपथ-पत्र के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुज जैन पुत्र श्री महेश चन्द जैन निवासी पुराने टी वि क्लिक के सामने बस स्टेण्ड सवाई माधोपुर, जिला/डिवीजन सवाई माधोपुर भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.No. 1/11/93-MC(D) दिनांक 23.10.1993 एवं भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.No. 1-1/2009-NCM दिनांक 27.01.2014 तथा राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 19(5) अल्प वक्फ/2014 दिनांक 14.03.2014 द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिए अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम/ईसाई/सिख/बौद्ध/पारसी/जैन की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से जैन वर्ग/समुदाय के सदस्य है।

आज दिनांक 30-07-2014 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

नोट .

- 1 राजस्थान सरकार के अल्पनियाक मामलात विभाग की अधियुवना क्रमांक 1005 4 दिनांक 23.09.2013 द्वारा समुदाय/वर्ग का प्रमाण-पन्न लारी करने हेत् डिजिटल इस्तांत्रर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दर्खवेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 प्राची द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल आयेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तायेणात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंसे !
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 पार्ची को जारी कियो गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www emitra gov in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, सवाईमाधोपुर

Signature valid
Digitally signed by
Govel Vistmit
Kurgas
Date
T
Reason SCM
Location: Rajasthan

And fair

